दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1311 / 05 / 76 / एक / 2013–14   दिनांक : 08 अगस्त 2013

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–कासगंज।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2013–14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना।** dklxt

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:– (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	अभिकरण पर रोकी गई सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	बैंक / खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	कासगंज	न0पा0परि0 कासगंज	मो0 बडडु नगर में वा।र्ड नं0 23, बरकी कपडे वाले से सई वाले, चाहत मिया से महबूब एवं गली ए0जी0 स्कूल गली मुन्ने खां गली पहलवानी तक पेवर सडक व नाली निर्माण	27.34	3.04	24.30	CENTERAL BANK OF INDIA. A/C NO-3098425598 IFC CODE-CBIN0280250
2	कासगंज	न0पा0परि0 गंजडुण्डवारा	मो0 इमाम बक्स मु0 हसीन से छोटे वाया नसीम हैण्ड पम्प तक। वार्ड नं0 19, मजिस्जद उमर से आरिफ प्लाट तक, साबीर से नजमा बेगम वार्ड–13 तक पेवर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	25.84	2.87	22.97	
3	कासगंज	न0पं0 बिलराम	मो0 काजी में भाड़ो वाली मजिस्जद से राजेन्द्र सिंह एवं मिली गली राजेन्द्र से नाथूराम वकील के घर तक, राज्न्द्र सिंह के घर से रोशल सिंह, वार्ड नं0 5 में पेवर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.11	3.57	28.54	
4	कासगंज	न0पं0 अमॉपुर	मो0 नोहिया नगर ओसमान से यामीन वर्ड नं. 9, मस्ताक से सरफार तक, नवी से असलम वार्ड नं0 10 तक, मो0 शास्त्री नगर में एहजाद / नत्थू से शीतला माता मन्दिर की ओर, वार्ड नं0–6 में पेवर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	31.24	3.47	27.77	
5	कासगंज	न0पं0 मोहनपुर	मो0 सिढ़पुरा दरवाजा में सिरसौल दरवाजा, डा0 सुरेश से गंज रोड यामीन से सुल्तान तक वार्ड नं0 1 में पेवर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	25.61	2.85	22.76	
6	कासगंज	न0पं0 भरगैन	मो0 बीचथोक में मदरसा तलहरी से समसुल के प्लाट की ओर से वार्ड नं0 1 तक पेवर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	31.41	3.49	27.92	
7	कासगंज	न0पं0 पटियाली	मो0 मुल्लाटोला / चौक में सरद की दुकान से राम सनेही वार्ड नं0 02, 03, 06, 07 में चन्द्र किशोर से सुनील दत्त घेर, पठानों वाली मस्जिद से हनुमान गढ़ी, 7. सितारा से हसन वार्ड नं0 03, अहमद के मकान से खालिद वर्ड नं0 11, 10 में पेवर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	27.14	3.02	24.12	
	योग			**200.69**	**22.31**	**178.38**	

--2--

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमश: इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक